वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

शिक्षा विभाग हरियाणा

वर्ष 1977-78

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा ।

विषय विवर्णिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	रिपोर्ट की समीक्षा	1–8
1.	सामान्य सार	9–13
2.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	14–17
3.	विद्यालय शिक्षा	18–26
4.	महाविद्यालय शिक्षा	27–28
5.	शिक्षक प्रशिक्षण	29–31
6.	समाज शिक्षा	32–33
7.	महिला शिक्षा	34–37
8.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	38–40
9.	छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता	41–45
10.	विविध	46–51

शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1977-78 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

हरियाणा शिक्षा विभाग राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक, डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के प्रबन्ध एवं विकास के लिए कार्यरत है। शिक्षा के विकास में राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अराजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों ने भी विशेष योगदान दिया है। राज्य में दो सम्बद्ध विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक है। शिक्षा विभाग सामान्यतया: शिक्षा के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित विकास योजनाएं बनाने, उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा उनके उचित समन्वय का कार्य करता है।

शिक्षा विभाग की यह प्रशासनिक रिपोर्ट 1-4-77 से 31-3-78 तक की अवधि से सम्बन्धित है। इस अवधि में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति हुई। शिक्षा मे गुणात्मक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। मुख्यतया: इस विभाग की गतिविधियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

(क) शिक्षा का विकास योजनाओं का बनाना तथा उनको क्षेत्रीय अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना।

(ख) भिन्न-भिन्न वर्ग के शिक्षकों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

(ग) विश्वविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों/ विद्यालयों की पात्रता परखने के पश्चात अनुदान की राशि स्वीकृत करना।

(घ) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्र-वृत्तियां, वजीफे एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना।

(ङ) पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तकों का उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना।

(च) अन्य कार्यक्रम।

(क) शिक्षा का विकास योजनाओं का बनाना तथा उनको क्षेत्रीय अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना :

(1) बजट :—रिर्पोटाधीन अवधि में शिक्षा विभाग का कुल बजट (संशोधित अनुमान) 4108.53 लाख रुपये और जिसमें योजनेत्तर पर 3593.04 लाख रुपये का था और योजना स्तर पर 515.49 लाख रुपये था।

(2) स्कूलों का खोलना और स्तर बढ़ाना :—इस अवधि में सरकार ने एक प्राईमरी विद्यालय पंचकूला में खोला। इस अवधि में 4 प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर माध्यमिक तथा 3 माध्यमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक अराजकीय विद्यालय को अपने नियन्त्रण में भी लिया।

(3) छात्र संख्या :—भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या वर्ष 1977-78 में 17.48 लाख (लड़के 12.27 लाख और लड़कियां 5.21 लाख) थी। रिपोर्टाधीन अवधि में प्री-प्राईमरी तथा प्राईमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 4.07 लाख और 1.04 लाख रही। शेष 0.86 लाख छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की।

(4) 10+2+3 शिक्षा पद्धति को लागू करना :—इस नई शिक्षा प्रणाली को हरियाणा राज्य में लागू करने के लिए 1-4-78 से नौवीं कक्षा में सभी लड़कियों के लिए भी विज्ञान तथा गणित के विषयों को अनिवार्य तौर पर पढ़ाया जाना शुरु कर दिया गया। इस प्रकार अब सभी लड़कों और लड़कियों के लिए यह विषय पढ़ने अनिवार्य हो गये हैं।

राजकीय स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु रिपोर्टाधीन अवधि में 60.30 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में से प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को 2015 रुपये तथा प्रत्येक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को 4950 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त प्राईमरी स्कलों मे विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए रिपोर्टाधीन अवधि में 900 विज्ञान किट्स की खरीद तथा अध्यापकों को विज्ञान के विषय में प्रशिक्षण देने के लिए 3.25 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

(5) उच्च शिक्षा का विकास :——इस अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 119 रही जिसमें 20 शिक्षा महाविद्यालय और 99 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। इनमें से राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालयों की संख्या केवल 14 थी।

रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में नये विषयों/कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध की गई।

(क) राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद	कामर्स तथा इतिहास की एम0 ए0 ॥ की कक्षाएं
(ख) राजकीय महाविद्यालय, नारनौल	भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान (ज्योलोजी) की एम0 ए0 ॥ की कक्षाएं
(ग) राजकीय महाविद्यालय, करनाल	विज्ञान विषय की कक्षाएं।

नये विषयों तथा नई कक्षाओं को चालू करने के लिए रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 34 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया।

(6) स्कल भवनों की मुरम्मत :——शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए 58 राजकीय स्कूलों के भवनों की मुरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनुमानों के आधार पर 5.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय प्राईमरी विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत के लिए भी 40 पंचायत समितियो को सरकार द्वारा 2.35 लाख रुपये की राशि दी गई। शहरी क्षेत्रों के प्राईमरी विद्यालयों के भवनों के लिए भी सरकार ने रिपोर्टाधीन अवधि में 2 लाख रुपये की भूमि खरीदी।

वर्ष 1977-78 में बाढ़ तथा वर्षा के कारण 613 राजकीय विद्यालयों को क्षति हुई थी। उनमें से 42 विद्यालयों के भवनों कीमुरम्मत के लिए 13 86 लाख रुपये को राशि की व्यवस्था सरकार द्वारा प्रदान की गई परन्तु समय के अभाव के कारण केवल 3.28 लाख रुपये की राशि इन भवनों की मुरम्मत के लिएखर्च की जा सकी।

(7) अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम :——15–25 आयु वर्ग के यवकों एवं युवतियों को अनौपचारिक शिक्षा देने का कार्यक्रम 6 जिलों में चलाया गया और

प्रत्येक जिले मे 100–100 केन्द्र खोले गये तथा इन केन्द्रों में 10978 युवकों एवं युवतियों को शिक्षा का लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण पढ़ी लिखी महिला द्वारा गांव की अनपढ़ महिलाओं को साक्षरता प्रदान करने का कार्यक्रम अम्बाला, करनाल, रोहतक और सोनीपत में प्रयोगिक तौर पर चलाया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत 324 शिक्षा केन्द्रों में 7087 महिलाओं को साक्षरता प्रदान की गई।

रिपोर्टाधीन अवधि में 1,26,014 प्रौढ़ों को अध्यापकों द्वारा तथा 1280 प्रौढ़ों को स्कूलों के नौंवी तथा दसवीं के विद्यार्थियों द्वारा साक्षरता प्रदान की गई।

वर्ष 1977-78 में प्राईमरी स्तरीय ड्राप-आऊट्स के 234 शिक्षा केन्द्र और मिडल स्तरीय ड्राप-आऊट्स के बच्चों के लिए 30 शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनमें क्रमश: 619 तथा 70 बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा का लाभ प्राप्त हुआ।

(ख) भिन्न-भिन्न वर्ग के शिक्षकों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना :

(1) जे0 बी0 टी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए वर्ष 1977-78 में डिप्लोमा-इन-एजुकेशन की कक्षाओं में दाखिला सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया। रिपोर्टाधीन अवधि में 5 अराजकीय संस्थाओं को ओ0 टी0 हिन्दी/संस्कृत के अध्यापकों की प्रशिक्षण कक्षाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गई।

(2) अध्यापकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए रिपोर्टाधीन अवधि में 89 सेवाकालीन प्रशिक्षण कक्षाओं का भी आयोजन किया गया जिनमें इस अवधि में 5000 प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और 3450 सैकेण्डरी अध्यापकों को भिन्न-भिन्न विषयों मे सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

(3) विस्तार सेवा विभाग कुरुक्षेत्र तथा रोहतक केन्द्र ने भी सेवाकालीन प्रशिक्षण कोर्सों के आयोजित करने में काफी योगदान दिया।

(ग) विश्वविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों की पात्रता परखने के पश्चात् अनुदान राशि स्वीकृत करना :

(1) रिपोर्टाधीन अवधि में विश्वविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों में शिक्षा को सुचारु रुप से चलाने तथा शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अनुदान (विकास एवं सरंक्षण अनुदान) दिये गये :–

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	110.43 लाख रुपये
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	115.00 लाख रुपये
अराजकीय महाविद्यालय	82.65 लाख रुपये
अराजकीय विद्यालय	18.23 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त अराजकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे का 31–1/4 प्रतिशत तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे का 25 प्रतिशत भाग की राशि भी अनुदान के रुप में दी गई। वर्ष 1977–78 मे कोठारी ग्रान्ट स्कीम के अन्तर्गत 48.85 लाख रुपये की राशि स्कूल अध्यापकों के संशोधित वेतनमानों के लिए दी गई।

(घ) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को एवं अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति, वजीफे, एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना :

(1) रिपोर्टाधीन अवधि में महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 184 योग्य छात्रों को 18.53 लाख रुपये की छात्रवृतियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 456 छात्रों को 3.11 लाख रुपये की राशि ऋण छात्रवृत्ति के रुप में दी गई। 601 हरियाणा योग्य छात्रों को मैट्रिक से बी० ए० की परीक्षा के आधार पर मैट्रिकोपरान्त संस्थान में पढ़ने के लिए 3.77 लाख रुपये की योग्यता छात्रवृतियां भी दी गई।

(2) देश के विभिन्न सैनिक तथा पब्लिक स्कूल, नाभा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हरियाणा निवासी 580 छात्रों को रिपोर्टाधीन अवधि में 20.34 लाख रुपये की राशि छात्रवृतियों के रुप में वितरित की गई।

(3) राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक कक्षाओं मे पढ़ने के लिए 1014 छात्रों को 10 रुपये प्रति मास की दर से तथा उच्च/उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले 668 छात्रों

को 15 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां देने के लिए 4.66 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के सुयोग्य छात्रों को 2/2 छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड देने की भीं व्यवस्था की गई।

(4) संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए 50 छात्रवृतियां और तेलगू भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए 312 छात्रवृतियों की भी व्यवस्था रिपोर्टाधीन अवधि में की गई।

(5) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा विकास के लिए वजीफे, छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता भी रिपोर्टाधीन अवधि में दी गई। मैट्रिकोपरान्त शिक्षा संस्थाओं में भिन्न-भिन्न कोर्सों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 40 रुपये से 140 रुपये की मासिक दर तक की छात्रवृत्तियां दी जाती है। छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति के छात्रों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी र ज्य सरकार द्वारा की गई

(ङ) पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना :

पिछले वर्षों की भांति इस रिपोर्टाधीन वर्ष में भी शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करने के लिए विशे पग उठाये गये। वर्ष 1977-78 में अनुसूचित ज तियों तथा वंचित वर्ग के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु 9.50 लाख रुपये की राशि की पुस्तकें स्कूलों में स्थापित 7043 बुक बैंकस में उपलब्ध की गई। इसके अतिरिक्त 5.40 लाख रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री अनुसूचित जाति के लड़कों तथा सभी वर्गों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को निशुल्क वितरित की गई।

(च) अन्य कार्यक्रम :

(1) केयर फीडिंग प्रोग्राम :—रिपोर्टाधीन अवधि में मध्यान्ह भोजन के लिए केयर सामग्री को सुरक्षित रखने और स्कूलों के बच्चों को प्रति दिन पंजीरी उपलब्ध करने के लिए घरौंडा (करनाल) में 9.38 लाख रुपये की लागत एक केन्द्रीय किचन स्थापित किया गया। इसकी स्थापना से अब 40,000 बच्चों को पंजीरी प्रति दिन खाने के रूप में दी जाती है।

(2 अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष :—रिपोर्टाधीन अवधिमें विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस अध्यापक कल्य ण .तिष्ठान से 3.83 रुपये की राशि सहायत के रूप में :.तरित की गई।

(3) खे -कूद एवं क्रियात्मक कार्यक्रमों में उपलब्धियां :—अर्न्तराज्य प्रतियोगिताओं की शरद ऋतु की खेलों में हरियाणा राज्य की कबड्डी टीम ने रा.ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा शी ड प्र. त की।

एन0 एस0 एस0 स्कीम के अर्न्तगत ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु यूथ फार रुरल रिकन्स्ट्रक्शन अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1977-78 में 109 शिविर लगाये गये। इन शिविरों में से 7 शिविर मलिन बस्तियों में लगाये गये। इन शिविरों में लगभग 4852 छात्रों ने भाग लिया।

(4) वर्ष 1977-78 में कर्नल राम सिंह राज्य के शिक्षा मंत्री रहे तथा कुमारी मीरा सेठ, आई0 ए0 एस0 शिक्षा आयुक्त एवं सचिव रही।

रिपोर्टाधीन वर्ष में श्री एल0 एम0 जैन, आई0 ए0 एस0 27-6-77 तक शिक्षा निदेशक के पद पर रहे तथा 28-6-77 से श्री ओ0 पी0 भारद्वाज, आई0 ए0 एस0 ने निदेशक शिक्षा विभाग का कार्यभ.र सम्भाला।

प्रशासकीय रिपोर्ट वर्ष 1977-78 पर समालोचना

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विशेष बल दिया गया है। स्कूल भवनों की मुरम्मत पर रुपये 2.35 लाख व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त बाढ़ के कारण विद्यालयों के भवनों को जो क्षति हुई, उसके लिए भी 3 लाख रुपये से अधिक व्यय किए गये।

अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के अर्न्तगत सन्तोषजनक प्रगति हुई। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगभग 8500 अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को उचित मूल्य पर पाठ्य पुस्तकें एवं अभ्यास पुस्तकें प्रदान की गई।

समस्त स्थिति सन्तोषजनक है। आशा की जाती है कि शिक्षा विभाग भविष्य में प्रगति करता रहेगा।

सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

अध्याय 1

सामान्य सार

1.1. प्रस्तुत शिक्षा विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1977-78 की शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों से सम्बन्धित है।

1.2. सितम्बर, 1977 में हरियाणा में स्थित भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की संख्या तथा उन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न रही :—

संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक पाठशालाएं	5141	457644	~~2181780~~ 217180	675824
माध्यमिक पाठशालाएं	755	197452	82012	279464
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं	1146	512661	196135	708796
जे0 बी0 टी0 प्रशिक्षण संस्था	1	36	25	61
शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	1	46	4	50
महाविद्यालय	119	59710	24575	84285
विश्वविद्यालय	2			
कुल	7165	1227549	520931	1748480

स्तर अनुसार संख्या :

1.3. राज्य में सितम्बर 1977 में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी :—

शिक्षा का स्तर	छात्र संख्या		
	लड़के	लड़कियां	कुल
पूर्व प्राथमिक स्तर	3122	2009	5131
प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवीं कक्षाएं)	776984	369314	1146298
माध्यमिक स्तर (छठी से आठवीं कक्षाएं)	309318	97627	406945
उच्च-उच्चतर माध्यमिक स्तर : (नौवी से ग्यारहवी कक्षाएं)	77917	26147	104064
कुल संख्या	1167341	495097	1662438
उच्च शिक्षा का स्तर			
प्री-यूनिवर्सिटी	16276	5180	21456
तीन वर्षीय डिग्री कोर्स	35661	13226	48887
पी0 एच0 डी0 तथा एम0 ए0 कक्षाएं	2596	1276	3872
बी0 एड0/ एम0 एड0	1669	2226	3895
जे0 बी0 टी0	36	25	61
अन्य कोर्स	3970	3901	7871
योग	60208	25834	86042
कुल योग	1227549	520931	1748480

शिक्षकों की संख्या :

1.4. हरियाणा राज्य में कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या 'प्रवन्ध' अनुसार इस प्रकार रही :—

(क) स्कूल स्तर पर

	पुरुष	महिलाएं	कुल अध्यापक
राजकीय विद्यालयों में	33540	13225	46765
अराजकीय विद्यालयों में	2432	2242	4674
योग	35972	15467	51439

(ख) उच्च शिक्षा स्तर पर :

जे0 बी0 टी0 संस्थाएं	5	3	8
राजकीय महाविद्यालयों में	596	208	804
अराजकीय महा विद्यालयों में	1718	601	2319
शारीरिक शिक्षा महा-विद्यालय, हिसार	5	1	6
विश्वविद्यालय	251	23	274
योग	2575	836	3411

शिक्षा पर व्यय :

1.5. शिक्षा विभाग का वर्ष 1977-78 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था :—

(क) प्रत्यक्ष व्यय : (राशि लाखों में)

	मद	योजनेत्तर	योजना	कुल
1.	उच्च शिक्षा	311.44	97.16	408.60
2.	माध्यमिक शिक्षा	1,627.97	132.61	1,760.58
3.	प्राथमिक शिक्षा	1,455.30	230.93	1,686.23
4.	विशेष शिक्षा (स्पैशल)	4.32	14.22	18.54
5.	एन0 सी0 सी0	59.77	23.63	83.40
6.	विविध	21.25	—	21.25
	योग	3,480.05	498.55	3,978.60
(ख)	परीक्ष व्यय :			
7.	निर्देशन	35.27	2.52	37.79
8.	इन्सपैक्शन	77.72	14.42	92.14
	योग	112.99	16.94	129.93
	कुल जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष	3,593.04	515.49	4,108 53

महाविद्यालय शिक्षा :

1.6. इस वर्ष कोई नया राजकीय महाविद्यालय नही खोला गया परन्तु अराजकीय आर0 एस0 एल0 डी0 महाविद्यालय, शाहजादपुर खुला तथा एक प्रशिक्षण महाविद्यालय कैथल में खुला। इन्द्रा गांधी महाविद्यालय, गोहाना (सोनीपत) बन्द हो गया।

जिला स्तर पर प्रशासन :

1.7. राज्य के सभी 11 जिलों मे जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त है जो अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों को सुविधाएं :

1.8. हरियाणा राज्य में भाषाई अल्प संख्यकों को राज्य सरकार द्वारा अपनी भाषा को अतिरिक्त विषय के रुप में पढ़ने की सुविधा देनी जारी रखी गई। यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी यह भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हों तो उनके लिए उस भाषा के पढ़ने का प्रबन्ध किया जाता है।

नये स्कूलों का खोलना तथा स्कूलों का स्तर बढ़ाना :

1.9. इस अवधि में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पंचकूला में खोला गया तथा 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर का किया गया। 3 माध्यमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उन्हें उच्च विद्यालय बना दिया गया। 6 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा 2 अराजकीय उच्च विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण (टेक ओवर) में ले लिया गया।

छात्र कल्याण कार्यक्रम :

1.10. गत वर्ष की भांति इस वर्ष में भी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाया गया। विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए राज्य के महाविद्यालयों/विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के सभी छात्रावासों को निकट के सहकारी उपभोक्ता स्टोरों से सम्बद्ध रखा गया ताकि उनको बिना कठिनाई सभी वस्तुएं उपलब्ध होती रहें।

स्कूलों में बुक बैंक स्थापना तथा वंचित वर्ग के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करना :

1.11. वर्ष 1977-78 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु 9.50 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। इसी प्रकार इन्हीं जातियों के लड़के, लड़कियों तथा सभी वर्ग की प्राईमरी कक्षाओं की बालिकाओं के लिए 5.40 लाख रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री निःशुल्क वितरित की गई।

अध्याय दूसरा

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

2.1. वर्ष 1977-78 में कर्नल राम सिंह राज्य के शिक्षा मन्त्री रहे।

(क) सचिवालय स्तर :

वर्ष 1977-78 में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव कुमारी मीरा सेठ, आई0ए0एस0 रही। कार्य में उनकी सहायता उप सचिव श्री एस0के0जैन तथा अवर सचिव श्री राजशेखर शर्मा/राम प्रकाश नियुक्त आई0ए0एस0 तथा एच0एस0एस0 अधिकारियों ने की।

(ख) निदेशालय स्तर :

रिर्पोटाधीन अवधि में निदेशक शिक्षा के पद पर श्री एल0एम0 जैन, आई0ए0एस0 27-6-77 तक तथा उसके पश्चात् 28-6-77 से श्री ओ0 पी0 भारद्वाज आई0ए0एस0 ने निदेशक शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला।

पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा के विकास के कारण निदेशालय में कार्य के बढ़ने के कारण स्कूल तथा कालेज शिक्षा के कार्य को अलग-अलग कर दिया तथा संयुक्त निदेशक प्रशासन के पद को अपग्रेड करके 10-2-78 से अतिरिक्त निदेशक का पद बना दिया गया। अतिरिक्त निदेशक को स्कूल शिक्षा के कार्य का इन्चार्ज बना दिया गया। इस प्रकार निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए निदेशक शिक्षा तथा अतिरिक्त निदेशक शिक्षा को सहयोग दिया :—

संयुक्त निदेशक, (शिक्षा), एच0ई0एस0
उप निदेशक, (महाविद्यालय), एच0ई0एस0
उप निदेशक, (विद्यालय), एच0ई0एस0
उप निदेशक, (योजना), एच0ई0एस0

अध्यक्ष, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, एच0ई0एस0

प्रशासन अधिकारी, एच0एस0एस0

सहायक निदेशक, (परीक्षा), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक, (निर्माण), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक, (आंकड़ा), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक, (छात्रवृत्ति), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक, (पुस्तक), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक, (अध्यापक प्रशिक्षण), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक, अध्यापक स्थापना, एच0ई0एस0

सहायक निदेशक, (स्कूल), एच0ई0एस0

लेखा अधिकारी--1

लेखा अधिकारी-2

रजिस्ट्रार शिक्षा

बजट अधिकारी

इसके अतिरिक्त कार्य की महत्वता को देखते हुए राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गांव के उप निदेशक के पद का मुख्यालय बदल कर निदेशालय में किया गया है।

जिला प्रशासन :

2.2. राज्य के प्रत्येक जिले के स्कूल शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर । जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य क शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यरूप देते हैं। जिले में शिक्षा के विकास के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मंडल शिक्षा अधिकारी हैं। उप मंडल शिक्षा अधिकारी अपने अपने उप मंडल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी रूचियों के अनुसार भविष्य में व्यवसाय आदि के चुनाव में सहायता देने के लिए जिला स्तर पर एक-एक सहायक मार्गदर्शन परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है। यह अधिकारी

विद्यालयों में जा कर विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न व्यवसायों के बारे में मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं ताकि स्कूल शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी अपनी रूचियों के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकें। विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है।

31-3-78 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिया गया है। श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पदों की सूची परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

खण्ड स्तर :

2.3. राज्य में स्थित सभी 5141 प्राथमिक विद्यालयों को निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिए 117 शिक्षा खंडों में बांटा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने खंड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी है।

राजकीय विद्यालय :

2.4. सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी तथा विभाग को उत्तरदायी हैं।

अराजकीय विद्यालय :

2.5. अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी स्थानीय प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते है। शिक्षा विभाग इनको सुचारू रूप में चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय :

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारू प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए निदेशक शिक्षा को उत्तरदायी हैं परन्तु अराजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी वित्तीय सहायता साधारण तथा विकास अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष देती है।

अध्याय तीसरा

विद्यालय शिक्षा

3.1. राष्ट्र का विकास शिक्षा पर निर्भर है। देश में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति लाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में विद्यालय शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

शिक्षा सुविधाओं का विकास

3.2. पिछले वर्षों में शिक्षा सुविधाओं के विकास में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 1977-78 में सरकार ने निम्नलिखित चार प्राथमिक तथा 3 माध्यमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर क्रमशः मिडल तथा उच्च कर दिया है :–

प्राथमिक से मिडल स्तर करना :

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तुम्बाहेड़ी, (रोहतक)।
2. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बुढाना, (हिसार)।
3. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बुढ़ावड़, (हिसार)।
4. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, लहरियां, (हिसार)।

मिडल से उच्च स्तर करना :

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अहरवां (हिसार)
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ढ़बोढ़ाकलां (रोहतक)
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़ौदा (रोहतक)

रिपोर्टाधीन अवधि में उपरोक्त स्कूलों के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त अरबन इस्टेट, पंचकूला (अम्बाला) में सरकार ने एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला भी खोली।

3.3. सितम्बर 1977 में हरियाणा राज्य में भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या इस प्रकार थी :—

विद्यालय का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
1. पूर्व प्राथमिक विद्यालय :	6	1	7
2. प्राथमिक विद्यालय :	5065	76	6141
3. माध्यमिक विद्यालय :	738	17	755
4. उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय :	917	229	1146

छात्र संख्या :

3.4. सितम्बर 1977 में स्कूल शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही :—

(संख्या लाखों में)

शिक्षा का स्तर	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक स्तर	7.77	3.69	11.46
माध्यमिक स्तर	3.09	0.98	4.07
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	0.78	0.26	1.04

रिपोर्टाधीन अवधि में माध्यमिक स्तर पर छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा 22 हजार से अधिक वृद्धि हुई जबकि प्राथमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों की संख्या पिछले वर्ष में क्रमशः 21 हजार तथा 11 हजार कम रही।

बालवाड़ियों की स्थापना :

3.5. समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के 3 से

6 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं उनके लिये शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये राज्य में पिछले वर्ष 10 बालवाड़ियों की स्थापना की गई थी । इन बालवाड़ियों के अतिरिक्त राज्य के कुछ अराजकीय प्राथमिक, मिडल तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ नर्सरी तथा प्री-प्राईमरी श्रेणियां भी संलग्न है । इन श्रेणियों में भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाएं उतपलब्ध हैं ।

अध्यापक :

3.6. प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को देखते हुए वर्ष 1977-78 में राजकीय स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं के लिये 550 जे0बी0टी0 अध्यापकों के अतिरिक्त पद सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए और इन पदों को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार ज़िलावार बांटा गया :

ज़िले का नाम	प्राथमिक कक्षाओं के लिये	मिडल/उच्च विद्यालयों के प्राथमिक विभागों के लिये	कुल
अम्बाला	30	6	36
भिवानी	15	7	22
हिसार	60	8	68
गुड़गांव	35	–	35
जीन्द	20	4	24
करनाल	20	5	25
कुरुक्षेत्र	100	4	104
महेन्द्रगढ़	40	4	44
रोहतक	80	2	82
सिरसा	90	6	96
सोनीपत	10	4	14
कुल	500	50	550

इसके अतिरिक्त वर्ष 1977-78 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिये निम्नलिखित अमला भी स्वीकृत किया गया :—

मुख्याध्यापक :	3	मास्टर/मिस्ट्रैसिज	14	इनमें 8 पद पिछले 4 स्कूलों में दसवीं कक्षा चालू करने हेतु सम्मिलित हैं
पी0टी0आई0	3			
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	लिपिक :	3	

सितम्बर 1977 में हरियाणा राज्य के शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षकों की संख्या इस प्रकार रही :—

शिक्षा का स्तर	पुरुष	महिलाएं	कुल
प्री-प्राईमरी स्तर	17	62	79
प्राथमिक स्तर	19012	9729	28741
माध्यमिक स्तर	9695	3542	13237
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	7248	2134	9382
कुल :	35972	15467	51439

हरियाणा राज्य में अधिकतर अध्यापक प्रशिक्षित हैं । राज्य में केवल 428 अध्यापक ऐसे हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं । उपरोक्त अध्यापकों में से 46765 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और 4674 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं

अध्यापक छात्र अनुपात :

3.7. रिपोर्टाधीन अवधि में स्कूल शिक्षा के भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा :

स्कूल के वर्ग के अनुसार		शिक्षा के स्तर अनुसार	
प्राथमिक स्कूल :	1 : 39	प्राथमिक स्तर	1 : 40
मिडल स्कूल	1 : 32	मिडल स्तर	1 : 31
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1 : 28	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	1 : 11

वर्ष 1976 में आठवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 19.6 पास प्रतिशत रहने के कारण उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हो गई और इसी कारण इस स्तर पर अध्यापक छात्र अनुपात भी कम रहा ।

दोहरी पारी प्रणाली :

3.8. जिन-जिन विद्यालयों के भावनों में छात्र संख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठने के लिये स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में ज़िला शिक्षा अधिकारी स्वय सक्षम हैं ।

सह शिक्षा की नीति :

3.9. ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिये अलग माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं हैं वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है । 5141 प्राथमिक विद्यालयों में से 244 राजकीय और 16 अराजकीय प्राथमिक विद्यालय केवल कन्याओं के लिये हैं । शेष सभी प्राथमिक विद्यालयों में सह शिक्षा/लड़कों के लिये है ।

तेलगु भाषा की शिक्षा :

3.10. पिछले वर्षों की तरह अब भी राज्य के 52 विद्यालयों में सातवीं

और आठवीं कक्षा में तेलगु भाषा की सुविधा उपलब्ध है । तेलगु भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वर्ष 1977-78 में 312 छात्रवृत्तिया भी दी गई ।

भाषा नीति और भाषाई अल्प संख्यक :

3.11. हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप में पढ़ते हैं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है ।

विद्यालयों में छठी कक्षा में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत, उर्दू के अतिरिक्त राष्ट्रीय भावात्मक एकता लाने के लिये दक्षिण भारत की भाषा तेलगु की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू और संस्कृत तथा तेलगु भाषाओं मे से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकता है।

हरियाणा में भाषाई अल्प संख्यकों के लिये उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी हरियाणा सरकार ने विशेष सुविधा दे रखी है । यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हों तो वह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते है । ऐसे विद्यार्थियों के लिये सरकार उनको इस विषय में शिक्षा लेने के लिये सुविधा प्रदान करती है । 19 अराजकीय विद्यालयों को जिन में हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिये सरकार ने विशेष अनुमति दे रखी है ।

भाषाई अल्प संख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह मशवरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई समिति का गठन भी किया हुआ है ।

शिक्षा पद्धति 10+2+3 को लागू करना :

3.12. इस नई शिक्षा प्रणाली को हरियाणा राज्य में लागू करने के लिए अप्रैल, 1976 में सभी उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को नौवीं कक्षा से विज्ञान तथा गणित के विषय लड़कों के लिये अनिवार्य तौर पर पढ़ाये जाने शुरू किये गये हैं। परन्तु लड़कियों के लिये यह विषय नौवीं कक्षा में 1-4-78 से पढ़ना अनिवार्य किए गए

हैं । इससे पहले लड़कियो के लिये गणित का विषय छठी और सातवीं श्रेणी में 1-4-1976 से ही अनिवार्य किया जा चुका था । 1-5-76 से नौवीं कक्षा में शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य अनुभव विषय भी अनिवार्य तौर पर लागू कर दिये गये है। राजकीय स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु रिपोर्टाधीनअवधि में 60.30 लाख रुपये की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी गई । राज्य सरकार ने सिद्धान्त तौर पर शिक्षा की इस नई प्रद्धति को 1-4-79 से राज्य के सभी विद्यालयों की नौवीं कक्षा मे लागू करने का निर्णय किया है ।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड :

3.14. राज्य सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 1977-78 में आठवी कक्षा की परीक्षा गत वर्ष की भांति शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जिसका परिणाम जून/जुलाई 1977 में घोषित हुआ । आठवीं कक्षा में इस वर्ष में 120413 विद्यार्थी नियमित रूप से परीक्षा में बैठे जिनमें से 47.66 प्रतिशत पास घोषित हुए तथा 15547 विद्यार्थी प्राईवेट आधार पर परीक्षा में बैठे जिनमें से 20.92 प्रतिशत विद्यार्थी पास घोषित हुए ।

दसवीं कक्षा की परीक्षा में 36534 विद्यार्थी नियमति तौर पर बैठे जिनमें से 61.12 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 35927 विद्यार्थी प्राईवेट तौर पर परीक्षा में बैठे और 24.79 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। उच्चतर माध्यमिक कक्षा का परिणाम 41.25 पास प्रतिशत रहा ।

अराजकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना :

3.15. (क) रिपोर्टाधीन अवधि में 5 अराजकीय विद्यालयों को विशेष रूप से पांचवीं बार और 2 अराजकीय विद्यालयों को छठी बार अस्थाई मान्यता प्रदान की गई । इनके अतिरिक्त विभाग द्वारा निम्नलिखित 8 अराजकीय विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई :—

1. गीता कन्या उच्च विद्यालय, कुरूक्षेत्र ।
2. गुरुनानक कन्या उच्च विद्यालय, रोहतक ।
3. आर्य उच्च विद्यालय, गोहाना ।

4. वैश्य उच्च विद्यालय, समालखा ।

5. जवाहर लाल जनता उच्च विद्यालय, बावल ।

6. श्रीचन्द मैमोरियल पब्लिक उच्च विद्यालय, सांपला ।

7. विवेकानन्द उच्च विद्यालय, यमुनानगर ।

9. डी0ए0वी0 उच्च विद्यालय, गोहाना ।

(ख) वर्ष 1977-78 में राज्य में 5 अराजकीय विद्यालयों की प्रबन्धक कमेटियां भी विभाग द्वारा अनमोदित की गई ।

3.16. वर्ष 1977-78 में केवल एक विद्यालय, हरियाणा उच्च विद्यालय, तोह(चरखी-दादरी) को सरकार ने अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में ले लिया तथा इस स्कूल के लिये एक पद मुख्याध्यापक, 9 पद मास्टर/मिस्ट्रैस्जि, 1 पद पी0 टी0 आई0, 3 पद जे0 बी0 टी0, 1 पद लिपिक और 3 पद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्वीकृत किए ।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान :

3.17. पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 1977-78 में अराजकीय विद्यालयों को निम्नलिखित अनुसार अनुदान भी दिया गया :—

	अनुरक्षक सहायता अनुदान
	रुपये
प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय :	5,97,434
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय :	10,34,480
स्थानीय निकाय/कैन्ट बोर्ड प्राईमरी स्कूल, अम्बाला कैन्ट	20,000
संस्कृत विद्यालय, गुरुकुल :	66,300

	अनुरक्षक सहायता अनुदान
हरियाणा साकेत काउन्सिल, चण्डीमन्दिर (मिडल स्कूल साकेत के लिये)	68,000
हरियाणा वैलफेयर सोसाईटी फार डीफ एण्ड डैम्प, चण्डीगढ़ को गड़गांव केन्द्र के लिये	26,500
गांधीयन इंस्टीच्यूट आफ स्टडीज, वाराणसी	10,000

उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 10 अराजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपकरणों के खरीदने के लिये 500 रुपये प्रति स्कूल की दर से 5000 रुपये की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया ।

अराजकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे का 31-1/4 प्रतिशत अनुदान भी दिया गया तथा अराजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे की 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी गई । इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को कोठारी ग्रान्ट स्कीम के अन्तर्गत 43,85,451 रुपये की राशि स्वीकृत की गई ।

लेखा आडिट :

3. 18. संस्थाओं को पिछले वर्षों में अधिक दिये गये अनुदान के कारण वर्ष 1977-78 में 1,78,000 रुपये की राशि की रिकवरी की गई ।

अध्याय चौथा

महाविद्यालय शिक्षा

महाविद्यालयों की संख्या :

4.1. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 119 थी जिसमें 20 शिक्षा महाविद्यालय और 99 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। प्रशासनिक प्रवन्ध अनुसार इन महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार रही :—

राज्य सरकार द्वारा	प्राईवेट बाडीज़ द्वारा	विश्वविद्यालयों द्वारा	कुल
14	102	3	119

राजकीय महाविद्यालयों में नए विषयों/कक्षाओं का चालू करना :

4.2. वर्ष 1977-78 में उच्च शिक्षा की सुविधाओं के प्रसार हेतु निम्न—लिखित राजकीय महाविद्यालयों में नए विषयों को प्रारम्भ किया गया :—

(क)	राजकीय महा विद्यालय, फरीदाबाद	कामर्स तथा इतिहास की एम0ए0 पार्ट -2 की कक्षाएं
(ख)	राजकीय महा विद्यालय, नारनौल	भूगोल तथा ज्योलोजी की एम0ए0 पार्ट–2 की कक्षाएं
(ग)	राजकीय महा विद्यालय, करनाल	विज्ञान विषय की कक्षाएं

नए विषय/कक्षाएं चालू करने हेतु राजकीय महा विद्यालयों में प्राध्यापकों के 34 पदों का सृजन किया गया ।

अराजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान :

4.3. (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य के राजकीय/अराजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों मे कार्य कर रहे प्राध्यापकों/प्राचार्यों के 1-1-1973 के संशोधित वेतनमान के खर्चे के लिये वर्ष 1977-78 में 33.67 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई ।

(2) 1-11-1966 से अराजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के संशोधित वेतनमान के खर्चे के लिये 14.48 लाख रुपये की राशि वर्ष 1977-78 में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई ।

(3) इसके अतिरिक्त राज्य के अराजकीय महाविद्यालयों को वर्ष 1977-78 में 34.50 लाख रुपये की राशि मैंनटैंनैन्स तथा डी0 पी0 ग्रान्ट के रूप में भी स्वीकृत की गई जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

मैन्टेनैन्स ग्रान्ट :	32.80 लाख रुपये
स्पैशल मैंनटेनैन्स ग्रान्ट :	1.44 लाख रुपये
डी0 पी0 अनुदान :	00.26 लाख रुपये

4.4. विश्वविद्यालयों को दिन प्रति दिन के खर्चे हेतु तथा विकास कार्य के लिये वर्ष 1977-78 में 225.47 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(रुपये लाखों में)
(क) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय :	110.47
(ख) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय Rohtak	115.00
कुल योग :	225.47

कुप्रबन्धित महाविद्यालयों का सर्वेक्षण :

4.5. 1977-78 में अराजकीय कुप्रबन्धित महाविद्यालयों के सर्वेक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई जिसने श्री के0सी0 शर्मा, अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा की अध्यक्षता में हरियाणा में सभी अराजकीय महाविद्यालयों का सर्वेक्षण किया ।

प्लैंनिग फोरम :

4.6. वर्ष 1977-78 में राज्य के दो विश्वविद्यालयों, 14 राजकीय तथा तथा 102 अराजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये गये प्लैंनिग फोरम्ज को चालू रखने हेतु 51,200 रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में वितरित की गई ।

अध्याय पांचवा

शिक्षक प्रशिक्षण

5.1. शिक्षा का स्तर अध्यापक के प्राप्त व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर है । शिक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन कई प्रकार के नये अनुसंधान हो रहे है तथा अध्यापक का इन अनुसंधानों तथा प्रयोगों से भली भांति परिचित होना आवश्यक है । इसलिये शिक्षक को व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिये दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :--

1. सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण ।

2. सेवाकालीन प्रशिक्षण ।

सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण :

5.2. वर्ष 1977-78 में भिन्न-भिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिये राज्य में निम्नलिखित पाठयक्रमों की सुविधाएं उपलब्ध थीं :—

एम0एड0 कक्षाएं :

5.3. राज्य में एम0एड0 कक्षाएं राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षण महाविद्यालय, रिवाड़ी तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध रही । दोनों संस्थाओं में वर्ष 1977-78 में 46 लड़के तथा 40 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया ।

बी0एड0 कक्षाएं :

5.4. वर्ष 1977-78 में बी0एड0 प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षाएं राज्य में 20 शिक्षा महाविद्यालयों में चालू रही। इसके अतिरिक्त वैश्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़ को भी 50 लड़कियों के लिये बी0एड0 कक्षाएं चालू करने की अनुमति भी दी गई । इन सभी महाविद्यालयों में 1616 लडकों तथा 2183 लड़कियों ने बी0 एड0 की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया ।

डिपलोमा-इन-एजुकेशन कक्षाएं :

5.5. जे0बी0टी0, प्रशिक्षित अध्यापकों में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को देखते हुए वर्ष 1977-78 में डिपलोमा -इन-एजुकेशन की कक्षाओं में नया दाखिला बन्द रखा गया । केवल राजकीय जे0बी0टी0 स्कू , फरीदाबाद में 61 विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण की यह कक्षा चालू रही ।

ओ0टी0/हिन्दी तथा संस्कृत/प्रशिक्षण कक्षाएं :

5.6. रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित संस्थाओं में ओ0टी0 (हिन्दी) तथा (संस्कृत) का एक-एक यूनिट खोलने की अनुमति दी गई :—

1.	भगत फून सिंह कालेज आफ एजुकेशन, खानपुर कलां (सोनीपत)	ओ0टी0 (हिन्दी')
2.	कन्या गुरुकुल खानपुरकलां (सोनीपत)	ओ0टी0 (हिन्दी)
3.	सी0आर0ए0 कालेज आफ एजुकेशन, हिसार	ओ0टी0 (हिन्दी)
4.	महाविद्यालय गुरुकुल, मटिण्डु (सोनीपत)	ओ0टी0 (संस्कृत)
5.	आर्य हिन्दु संस्कृत महाविद्यालय, चरखी-दादरी	ओ0टी0 (संस्कृत)

5.7. वर्ष 1977-78 में नर्सरी प्रशिक्षण खोलने की अनुमति किसी भी संस्था को नहीं दी गई ।

सेवाकालीन प्रशिक्षण :

5.8. गत वर्षों की भांति वर्ष 1977-78 में भी प्राथमिक तथा स्नातक अध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया गया । इसी वर्ष जो सेवा-कालीन प्रशिक्षण आयोजित किए गए, निम्नप्रकार है :—

प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण अवधि दिनों में	जितने अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया
1. गणित तथा विज्ञान विषय में	20	1200
2. भूगोल विषय में	10	900
3. स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	10	900
4. एजुकेशन एण्ड वोकेशनल गाईडैन्स	10	450
5. प्राथमिक अध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण	21	5000

पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण :

5.9. रीज़नल शिक्षण महाविद्यालय, अजमेर द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार एवं सम्पर्क कार्यक्रम में लगभग 400 अध्यापकों को विभि विषयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रशिक्षण की अवधि 6 मास थी । इ के अतिरिक्त 15 दिन के लिये अजमेर में भी परसनल कान्ट्रैक्ट प्रोग्राम करवाया गया ।

विस्तार सेवा विभाग :

5.10. विस्तार सेवा विभाग कुरुक्षेत्र तथा रोहतक केन्द्र जो कि अपने नजदीकी अध्यापको के लिये थोड़ी अवधि के कोर्स (Short term courses) आयोजित करता है, ने भी सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बन्धी काफी योगदान दिया है । विस्तार सेवा विभाग कुरुक्षेत्र अब राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गाव में बदल दिया गया है जहां यह रिसोर्स सैन्टर के रूप में कार्य कर रहा है ।

राज्य विज्ञान संस्थान, गुड़गांव :

5.11. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य विज्ञान सं थान , गुड़गांव प्राथमिक तथा सैकेण्डरी स्तर पर विज्ञान शिक्षा को विकसित करने तथा विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिये काफी प्रयत्नशील रहा । इसके अतिरिक्त प्राथमिक तथा सैकेण्डरी अध्यापकों के लिये विज्ञान विषय में विभिन्न प्रकार के कोर्सिज भी इस संस्थान द्वारा आयोजित किए गए ।

अध्याय छठा

अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा

6.1. हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज शिक्षा का कार्यक्रम हरियाणा बनने के समय से ही चलाया जा रहा है। वर्ष 1966 में जब हरियाणा बना था तो उस समय यह कार्यक्रम केवल जिला जीन्द और महेन्द्रगढ़ में ही चल रहा था जहां यह कार्यक्रम अभी तक भी चलाया जा रहा है। वर्ष 1977-78 मे इस स्कीम के अन्तर्गत 2005 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया।

किसान साक्षरता योजना :

6.2. वर्ष 1968 में राज्य में किसान साक्षरता योजना की नई स्कीम जिला रोहतक में आरम्भ की गई। वर्ष 1977-78 तक यह कार्यक्रम राज्य के 6 जिलों, रोहतक, अम्बाला, करनाल, गुड़गांव, हिसार तथा सिरसा में भी फैला दिया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 360 केन्द्र खोले गये तथा 9554 प्रौढ़ों को साक्षरता प्रदान की गई। इस स्कीम पर होने वाला सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम :

6.3. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1973-74 में आरम्भ किया गया था और वर्ष 1977-78 में राज्य के सभी जिलों में इसका कार्यक्रम फैला दिया गया। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य में 660 केन्द्र खोलने की व्यवस्था है और रिपोर्टाधीन अवधि में 7191 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम :

6.4. 15–25 आयु वर्ग के युवकों एवं युवतियों को अनौपचारिक शिक्षा देने का प्रोग्राम वर्ष 1975-76 में राज्य के दो जिलों भिवानी तथा जीन्द में चलाया गया। वर्ष '1976-77 में यह प्रोग्राम गुड़गांव तथा करनाल में भी

चालू कर दिया गया। इस प्रकार वर्ष 1977-78 में इस स्कीम के अन्तर्गत 15–25 आयु वर्ग के युवक तथा युवतियों को अनौपचारिक शिक्षा देने का कार्यक्रम राज्य के 6 जिलों में आरम्भ हो चुका है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 100, 100 केन्द्र खोले गये तथा इन केन्द्रों में 10978 प्रौढ़ों को शिक्षा का लाभ पहुंचाया गया।

6.5. इसके अतिरिक्त वर्ष 1977-78 में अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की निम्नलिखित स्कीमों को चलाने के लिए 25 लाख रुपये की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है :—

(क) ग्रामीण पढ़ी लिखी महिला द्वारा उसी गांव की अनपढ़ महिलाओं को साक्षरता प्रदान करना :

यह परियोजना राज्य के 4 जिलों अम्बाला, करनाल, रोहतक तथा सोनीपत में प्रयोगिक तौर पर चलाई गई तथा इसके अन्तर्गत 4 जिलों में 324 शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनमें 7087 महिलाओं को साक्षरता प्रदान की गई।

(ख) राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाना :

इस स्कीम के अन्तर्गत रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय विद्यालयों के प्रत्येक अध्यापक द्वारा 5 प्रौढ़ों को समाज सेवा के तौर पर साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य था। उच्च तथा उच्चतर श्रेणियों के 2200 विद्यार्थियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा 2,2 प्रौढ़ों को साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य था परन्तु रिपोटाधीन अवधि मे 25344 अध्यापकों द्वारा 126014 प्रौढ़ों को तथा 640 विद्यार्थियों द्वारा 1280 प्रौढ़ों को ही साक्षर बनाया जा सका।

(ग) (6-11) (11–13) तथा (11–14) (14–17) आयु वर्ग के हरिजन बच्चों को तथा लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना :

इस स्कीम का उद्देश्य 6–11/11–13 आयु वर्ग के प्राथमिक स्तर के ड्राप आऊटस को तथा 11–14/14–17 आयु वर्ग के मिडल स्तरीय ड्राप आऊटस को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना तथा उन्हे छठी तथा नौवीं श्रेणी में प्रवेश पाने योग्य बनाना है। वर्ष 1977-78 में प्राईमरी स्तरीय ड्राप आऊटस के लिए राज्य में 234 शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनमें 619 बच्चों को शिक्षा का लाभ प्राप्त हुआ और मिडल स्तरीय ड्राप आऊटस बच्चों के लिए 30 शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनसे 70 बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ।

अध्याय सातवां

महिला शिक्षा

7.1. पिछले कुछ वर्षों मे स्त्री शिक्षा के विकास में सन्तोषजनक प्रगति हुई। इस प्रगति का क्रम रिपोर्टाधीन अवधि में भी बना रहा। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने लडकियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध की हुई है। यह सुविधाएं रिर्पोटाधीन अवधि में भी जारी रही।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा ट्यूशन फीस कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छठी से ग्याहरवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर लडकों की अपेक्षा कम रखी गई है।

(ख) हरिजन कन्याओ को नौवी, दसवी तथा ग्याहरवीओं कक्षाओं में क्रमश: 20,25 और 30 रुपये की मासिक दर से योग्यता छात्रवृत्तियां देने की भी व्यवस्था है। यह छात्रवृत्तियां आठवी कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को दी जाती है। प्रत्येक कक्षा के लिए 50, 50 छात्रवृत्तियां हरिजन कन्याओं के लिए हर वर्ष उपलब्ध की जाती है।

(ग) विधवाओं/पतियों से अलग रहने वाली/विवाह विच्छेद वाली स्त्रियों के लिए जे0बी0टी0/एल0टी0सी0/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ऐसी स्त्रियों को अधिक आयु में साधारणत: ढील दी जाती है। यह स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिलटरी पुरुषों की पत्नियों या उनके

आश्रितों को भी अयोग्य हो गए हो या लडते-लड़ते मारे गये हों प्रवेश के लिए अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है।

(घ) जिन स्थानों/गांवो में कन्याओं के लिए अलग स्कूल नहीं है वहां पर कन्याओं को लड़कों के स्कूलों में प्रवेश प्राप्त करने की भी अनुमति दी जाती है।

कन्या शिक्षा संस्थाओं की संख्या :

7.2. वर्ष 1977-78 में कन्याओं की शिक्षा संस्थाओं की संख्या इस प्रकार रही :—

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
प्राथमिक स्कूल	248	16	264
माध्यमिक स्कूल	80	7	87
उच्च विद्यालय	101	83	184
उच्चतर माध्यमिक	20	2	22
महाविद्यालय	1	25	26

पिछले कुछ वर्षों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं है। इसका कारण यह रहा है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के लिए अलग स्कूल नहीं है वहां पर वह लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती है। परन्तु कन्याओं की शिक्षा को और प्रोत्साहन देने के लिए कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित शर्तों पर खोले जाते हैं :—

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की माग हो।

2. यदि स्थानीय जनता स्कूल भवन के लिए प्रवन्ध करे।

3 यदि 30 या 40 कन्याएं विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उपलब्ध हो।

4. यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिए कोई और विद्यालय न हो।

जिला शिक्षा अधिकारी कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक ब्रांच विद्यालय भी खोल सकते हैं, यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो और अतिरिक्त स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

7.3. सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप राज्य में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। रिर्पोटाधीन अवधि में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या 5.21 लाख रही।

छात्रवृत्तियां :

7.4 राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की छात्रवृत्तियां केवल लड़कियों को इसलिए स्वीकृत की जाती है कि वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनके माता-पिता तथा संरक्षक अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण लड़कियों की शिक्षा में बाधक न बन सकें। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों में शिक्षा प्रोत्साहन के लिए महाविद्यालय स्तर पर उन लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है जिनके माता-पिता की आय निश्चित सीमा 6000/- रुपये से कम हो।

वर्ष 1977-78 में कन्याओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण इस प्रकार है :--

छात्रवृत्ति का नाम	छात्रवृत्ति की संख्या केवल लड़कियों के लिए	मासिक दर
1	2	3
स्कूल स्तर		
मिडल स्कूल छात्रवृत्ति	378	10 रुपये

1	2	3
		रुपये
हाई स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति	411	15
महाविद्यालय स्तर		
राज्य योग्यता छात्रवृत्ति :		
उच्च/उच्चतर माध्यमिक	47	22
प्रैप	83	45
हायर सैकेण्डरी पार्ट–11	15	45
स्कूल स्तर		
नौवी श्रेणी	50	20
दशम श्रेणी	50	25
ग्याहरवीं श्रेणी	50	30

हरिजन लड़कियों को मुफ्त वर्दियां देना :

7.5. प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन लड़कियों को रिपोर्टाधीन अवधि में 99000 रुपये की लागत की वर्दियां मुफ्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दी गई।

अध्याय आठवां

शिक्षा सुधार कार्यक्रम

8.1. हरियाणा बनने के पश्चात् राज्य में शिक्षा सुविधाओं में विशेष विकास हुआ है और भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी विशेष वृद्धि हुई है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी विशेष पग उठाये गये हैं। अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण पद्धतियों तथा रीतियों अनुसार शिक्षा देने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान तथा राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि में 5000 प्राथमिक अध्यापकों तथा 3450 सैकेण्डरी अध्यापकों को भिन्न-भिन्न विषयों को सुचारू रूप से पढ़ाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया गया।

राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा "प्राथमिक अध्यापक" नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। यह पत्रिका प्रत्येक प्राथमिक अध्यापक को भेजी जाती है। इस पत्रिका में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को रोचक तथा नवीन ढंग से पढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाती है।

शाला संगम :

8.2. प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक क्षमता को उन्नत करने के लिए ही शाला संगम की स्कीम चालू की गई थी। इसके अन्तर्गत प्राथमिक अध्यापक महीने में एक शनिवार को अपने निकटतम उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इकट्ठे होते हैं और वहां पर केन्द्र के मुखिया की देखरेख मे अपनी क्लास रूम टीचिंग समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं। राज्य सरकार ने रिपोर्टाधीन अवधि में इस स्कीम के लिए 2.90 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की थी।

विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम :

8.3 (क) प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण के सुधार के लिए 900 साईन्स किट्स की खरीद तथा अध्यापकों को विज्ञान के विषय में प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा 3.25 लाख रुपये की राशि रिपोर्टाधीन अवधि में स्वीकृत की गई।

(ख) मिडल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 60.30 लाख रुपये की राशि विज्ञान का सामान खरीदने के लिए स्वीकृत की ताकि इन स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा रोचक तथा सुचारू रूप से दी जा सके। यह राशि निम्न प्रकार से स्कूलों की प्रयोगशालाओं के लिए विज्ञान का सामान खरीदने के लिए स्वीकृत की गई :—

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए	2015 रु0 प्रति स्कूल
राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए	4950 रु0 प्रतिस्कूल

10+2+3 शिक्षण पद्धति राज्य में लागू करने के लिए वर्ष 1976-77 के शैक्षणिक सत्र से विज्ञान और गणित के विषय केवल लड़कों के लिए अनिवार्य कर दिये गये थे। परन्तु अब 1-4-78 से राज्य में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के लिए भी विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान) और गणित के विषय अनिवार्य कर दिए गए हैं।

कार्य अनुभव :

8.4. यह स्कीम बेसिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1977-7 में 440 राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को कार्य अनुभव के लिए कच्चे सामान की खरीद के लिए 200 रुपये प्रति स्कूल की र से 88,000 रुपये की राशि वितरित की गई। इसके अतिरिक्त राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगीना/गुड़गांव में मुस्लमान विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था भी की गई।

प्लैनिंग फोरम :

8.5. राज्य के 3 विश्वविद्यालयों, 14 राजकीय महाविद्यालयों तथा 102 अराजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किए गए प्लैनिंग फोरमज के कार्यक्रमों को रिपोर्टाधीन अवधि में चालू रखने हेतु 51,200 रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई।

शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध कराना :

8.6. रिपोर्टाधीन अवधि मे शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष पग उठाए गए :—

(1) जिन राजकीय विद्यालयों के भवन लोक निर्माण विभाग की पुस्तको मे दर्ज हैं उनमें से 58 राजकीय भवनों की मुरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनुमानों के आधार पर 5.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक भवनों की वार्षिक मुरम्मत के लिए 40 पंचायत समितियों को सरकार द्वारा 2.35 लाख रुपये की राशि दी ग ।

(3) वर्ष 1977-78 मे बाढ़ तथा वर्षा के कारण जिन 613 राजकीय विद्यालयों के भवनों को क्षति हुई थी उनमें से 42 राजकीय विद्यालयों के भवनो के लिए 13.86 लाख रुपये के खर्चे के अनुमानों की प्रशासनिक स्वीकृति भी सरकार द्वारा प्रदान की गई। परन्तु समय के अभाव के कारण 3.28 लाख रुपये की राशि इन भवनों पर खर्च नही की जा सकी। शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के लिए वर्ष 1977-78 मे 2 लाख रुपये की राशि की भूमि स्कूल भवनों के बनाने के लिए खरीदी गई। इसके अतिरिक्त राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नारनौल के भवन निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3.50 लाख रुपये की राशि और खर्च की गई।

(4) राजकीय विद्यालयो के छात्रों के लिए फरनीचर, टाट तथा अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छात्र निधियों से 3.50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई।

अध्याय नौवां

छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

9.1. भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले योग्य छात्रों को भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रति वर्ष कई प्रकार की वित्तीय सहायता तथा छात्रवृत्तियां दी जाती है। शिक्षा सम्बन्धी सुविधाये न केवल पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियो को दी गई अपितु अध्यापकों तथा गरीब माता-पिता के पढ़ने वाले बच्चों को भी दी गई। राज्य सरकार के साथ-साथ भारत सरकार भी शिक्षा प्रसार के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता छात्रों को देती है।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :

9.2. (I) महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में 184 छात्रवृत्तियां दी गई हैं और 8.53 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

(II) हरियाणा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य की ओर से कुल 22 छात्रवृत्तियां वर्ष 1977-78 में मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक तथा प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा के आधार पर प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों की 47 छात्रवृत्तियों का नवीकरण भी किया गया। यह छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं अध्यापकों के बच्चों को दी जाती हैं जिनकी वार्षिक आय/मूल वेतन 6000/- रुपये तक होता है। वर्ष 1977-78 में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों पर कुल 54,000/- रुपये का खर्चा हुआ।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना :

9.3. इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार हरियाणा के गरीब माता-पिता के योग्य बच्चो को जो कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं,

उनको ऋण के तौर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1977-78 में 456 छात्रों को 3,11,620/- रुपये की राशि वितरित की गई तथा 1.24 लाख रुपये की राशि पढ़ाई समाप्त करने वाले छात्रों से वसूल की गई जो पिछले वर्षों में छात्रों को ऋण छात्रवृत्ति के रूप में दी गई थी।

महाविद्यालयों में राज्य योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम :

9.4. इस स्कीम के अन्तर्गत 601 हरियाणवी योग्य छात्रों को मैट्रिक से बी०ए० की परीक्षाओं के आधार पर मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई। रिपोर्टाधीन अवधि में 3,77,356/- रुपये की राशि योग्यता छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को वितरित की गई।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां :

9.5. देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पब्लिक स्कूल नाभा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हरियाणा निवासी 580 छात्रों को रिपोर्टाधीन अवधि में 20,74,400 रुपये की राशि की छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई।

स्कूल स्तर पर छात्रवृत्तियां :

9.6. (1) हरियाणा सरकार की ओर से माध्यमिक स्तर की योग्यता छात्रवत्ति स्कीम के अन्तर्गत माध्यमिक कक्षाओं में 1014 योग्यता छात्रवृत्तियों के लिए 2,56,520/- रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। यह छात्रवृत्तियां 10 रुपये प्रति मासिक दर से दी जाती है।

(2) उच्च विद्यालय स्तर की योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत इस अवधि में 15 रुपये मासिक दर से 668 छात्रवृत्तियों के लिए 2,09,560 रुपये की राशि की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई।

(3) ग्रामीण क्षेत्र के सुयोग्य बच्चों को माध्यमिक परीक्षा के आधार पर भारत तथा राज्य सरकार द्वारा 202 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खंड अनुसार

दी जाती हैं। इस प्रकार वर्ष 1977-78 में 410 निश्चित छात्रवृत्तियां देने के लिए 2,73,070 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

(4) संस्कृत भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्तियां :—संस्कृत भाषा पढ़ने वाले छात्रों को माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में 10 रुपये प्रति मास की दर से 50 छात्रवृत्तियो के लिए 6000 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

(5) तेलगु भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्तियां :—यह छात्रवृत्तियां सातवी कक्षा से उच्च विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने तक तेलगू भाषा की पढ़ाई के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 1977-78 में इस स्कीम के अधीन 312 छात्रवृत्तियों के लिए 37,440 रुपये की व्यवस्था की गई।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा विकास के लिए सुविधाएं :

9.7. अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को सभी प्रकार की शैक्षणिक, व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। ऐसे छात्र बिना किसी भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। नि:शुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा की भी व्यवस्था की हुई है।

राज्य हरिजन कल्याण योजना :

9.8 (1) स्कूल स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्ग के छात्रो को नौवीं से ग्याहरवीं कक्षा तक 8 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। यह छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 4200 रुपये तक हो। स्कूल स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को यह छात्रवृतियां सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियो द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(2) महाविद्यालय स्तर पर केवल पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओ को 15

रुपये से लेकर 25 रुपये मासिक दर पर छात्रवृत्तियां विभिन्न कक्षाओं और कोर्सों के पढने हेतु दी जाती है। निःशुल्क शिक्षा तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी इन छात्र/छात्राओं को दी जाती है। वर्ष 1977-78 में महाविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के 2451 छात्रों की छात्रवृत्तियों पर तथा 1682 छात्रों की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा 8,77,745 रुपये की राशि व्यय की गई।

(3) विमुक्त जाति छात्रवृत्ति योजना :—महाविद्यालय तथा स्कूल स्तर पर विमुक्त जातियों के बच्चों की छात्रवृत्तियों के लिए रिपोंटाधीन अवधि में राज्य सरकार द्वारा 43,300/- रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

(4) हरिजन छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृत्ति योजना :—नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवी कक्षाओं मे पढ़ने वाली हरिजन कन्याओं के लिए 150 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है जिनकी दर नौवीं में 20 रुपये, दसवीं में 25 रुपये तथा ग्याहरवी में 30 रुपये मासिक है। वर्ष 1977-78 में इन छात्रवृत्तियों के लिए 45,000/- रुपये की व्यवस्था की गई थी।

भारत सरकार की मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना :

9.9. इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा संस्थाओं में भिन्न-भिन्न कोर्सों में पढने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं को 40 रुपये-से लेकर 140 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी जाती है। वर्ष 1977 78 में इस स्कीम के अन्तर्गत 36,25,000 रुपये की राशि खर्च की गई। यह छात्रवत्तियां तथा इस प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है जिसकी अधिकतम कुल वार्षिक सीमा 9000 रुपये है। अनिवार्य रूप से दी जाने वाली निःशुल्क शिक्षा के लिए संस्था शुल्क की प्रतिपूर्ति और छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

न्यून आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां :

9.10. इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिए 1800

रुपये या इससे कम आय वर्ग के माता-पिता के बच्चों को छात्रवृत्तियां 27 रुपए से लेकर 65 रुपये मासिक दर से दी जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा शुल्क तथा अन्य अनिवार्य फंड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। वर्ष 1977-78 में इस स्कीम के अन्तर्गत 1,25,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई थी।

अध्याय दसवां

विविध

खेल-कूद :

10.1. खेल-कूद के विषय को राज्य की शिक्षा संस्थाओं की शिक्षण पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। प्रायः खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि से किया जाता है। खेलों के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार भी अपने खाते से कुछ धनराशि अनुदान के रूप में खेलों के विकास के लिए देती है। वर्ष 1977-78 में राज्य सरकार द्वारा 17 हजार रुपये तथा खेल विभाग द्वारा 10 हजार रुपये की धनराशि अन्तर्जिला/अन्तर्राज्य क्रीड़ा प्रतियोगिताओं एवं जूनियर नेहरू हाकी प्रतियोगिताओं के लिए स्वीकृत की गई। अन्तर्राज्य प्रतियोगिताओं की शरद् ऋतु (Autumn meet) जो कि अमृतसर में 27-10-77 से 31-10-77 तक हुई जिसमें हरियाणा राज्य की कब्बड्डी टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा शील्ड प्राप्त की।

छात्रों में खेल कूद के स्तर को ऊंचा बनाने के लिए खेल विभाग का सहयोग उपलब्ध है। विद्यालयों में खेलों में विशेष रूचि रखने वाले अध्यापकों तथा छात्रों को खेलकूद में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते है।

एन0एस0एस0 योजना :

10.2. विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तित्व और उनके बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य में एन0एस0एस0 प्रोग्राम चालू है। वर्ष 1977-78 से इस प्रोग्राम के अधीन स्वयं सेवकों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। इसी प्रकार वर्ष 1976-77 में महाविद्यालयों में स्वीकृत एन0एस0एस0 यूनिटों

की संख्या 100 थी जबकि 1977-78 में इन यूनिटों की संख्या 113 कर दी गई। रिपोर्टाधीन अवधि में इस प्रोग्राम के लिए विभाग के बजट में 14.40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस प्रोग्राम पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार क्रमशः 7:5 के अनुपात में खर्च करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एन0एस0एस0 के स्वयं सेवक विशेष सहयोग देते है। ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु "यूथ फार रूरल रिकन्स्ट्रक्शन" अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1977-78 में 109 शिविर लगाये गये (21 ग्रीष्मकालीन, 38 पतझड़ अवकाश काल में तथा 50 शरद् ऋतु अवकाश काल मे) इन शिविरों में से 7 शिविर मलिन बस्तियों Slum Areas में लगाये गये। लगभग 4852 छात्रों ने इन शिविरों में भाग लिया। इन शिविरों में मुख्यतया: निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया :—

1. Slum Clearance
2. Eradication of illiteracy.
3. Socio-medical work.
4. Improvement of Sanitation.
5. Plantation of trees.
6. Popularisation & Construction of Gobar Gas plants.
7. Eradication of Dowery & other social evils.
8. Adult Education.

एन0सी0सी0 :

10.3. एन0सी0सी0 की परियोजना भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एन0सी0सी0 स्कीम के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। महाविद्यालयों के छात्रों के लिए सीनियर डिवीजन तथा विद्यालयों के छात्रों के लिए जूनियर डिवीजन स्थापित किए हुए है। छात्राएं केवल थल सेना की दोनों डिवीजनों में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं।

इस परियोजना को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर नियमानुसार करती हैं। वर्ष 1977-78 में एन0सी0सी0 स्कीम को

चलाने हेतु 49,80,890/- रुपये की बजट व्यवस्था की गई। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में एन0सी0सी0 के 17 शिविर लगाए गए जिनमें 163 अधिकारियों और 5826 कैडिट्स ने भाग लिया। इस अवधि में सीनियर/जूनियर डिवीजन की बटालियन संख्या और कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडिटस की संख्या निम्नलिखित रही :—

	बटालियन संख्या	कैडिटस की संख्या
सीनियर डीवीजन :		
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	12	9600
इनफैन्टरी बटालियन, (लड़कियों के लिए)	2	1600
वायु स्कवैड्रन	2	400
जल बटालियन :	1	200
ग्रुप हैडक्वार्टरज़ :	2	200
जूनियर डिवीजन :		
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	138	13,250
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	9	200
वायु विंग	14	1150
जल विंग	5	450

रैड क्रास :

10.4. रैडक्रास संस्था समाज में रोगियों, अंगहीनों, घायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों में प्रिय बनाने के लिए राज्य मे जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास

संस्थाएं जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई है। विद्यालयों में रैडक्रास फंड भी चालू है। शिक्षा संस्थाओं में रैडक्रास फंड से आवश्यकता-ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां, चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में एकत्रित रैडक्रास फंड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग साकेत में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

इस संस्था द्वारा वर्ष 1977 में बाढ़ पीड़ितों के सहायता कार्य में विशेष योगदान दिया गया। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए 50,000 ड्राई फूड पैकेटस दिये गये, 126 वितरण केन्द्रों के माध्यम से 9,27,398 रुपये के मूल्य के गेहू, चावल तथा चीनी इत्यादि बाढ़ पीड़ितों को बांटे गये। रिपोर्टाधीन अवधि में 74 रक्तदान शिविर आयोजित किये गये जिसमें 8431 से अधिक व्यक्तियों ने रक्तदान दिया। राज्य में 7091 जूनियर रैडक्रास ग्रुप हैं। इन ग्रुपों के माध्यम से शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाई का खर्चा तथा पुस्तकें इत्यादि देने पर लगभग 2.42 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई। 31,891 व्यक्तियों को इस अवधि में फर्स्ट ऐड तथा होम नर्सिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस समय राज्य के 31 फर्स्ट ऐड केन्द्र भी स्थापित हैं।

भारत स्काउटस तथा गाईडज़ :

10.5. राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काऊटस एवं गाईडज़ आन्दोलन छात्रों में भातृ-प्रेम, नेतृत्व की भावना तथा जनजाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह आन्दोलन हरियाणा भारत स्काऊटस एंड गाईड्ज़ एसोसिएशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1977-78 में राज्य सरकार द्वारा संस्था को 75,000 रुपये नान-प्लान पक्ष से तथा 50,000 रुपये प्लान पक्ष से अनुदान के रूप में दिये गये।

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में 3 प्रौफिसिएंसी बैंज प्रशिक्षण शिविर लगाए गए जिसमें 357 स्काऊटस तथा स्काऊटस मास्टरज़ ने भाग लिया। दो फर्स्ट क्लास स्काऊटस प्रशिक्षण शिविर लगाए गए जिन मे 143 स्काऊटस तथा

12 स्काऊटस मास्टरज ने भाग लिया। फर्स्ट नैशनल कब एंड बुलबुल उत्सव भी मनाया गया जिससे 93 कब्ज, 15 कब्ज मास्टरज तथा 175 बुलबुलों ने भाग लिया। 40 स्काऊटस, 9 स्काऊट मास्टरज एवं 30 गाईडरज ने प्रैजीडैन्ट स्काऊटस एंड गाईड रैली में भाग लिया और राष्ट्रपति ने स्काऊटस को प्रमाण पत्र दिये। संस्था ने 2 स्काऊट मास्टरज तथा एक कब्ब मास्टर प्रीलीमनरी प्रशिक्षण शिविर लगाए जिनमें 111 अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम :

10.6. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 83 शिक्षा खंडों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राईमरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं को मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है। वर्ष 1977-78 मे लगभग 2.80 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ प्राप्त हुआ।

शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम पर लगभग 16.23 लाख रुपये की राशि खर्च की जिसमें से 7.50 लाख रुपये की राशि केयर संगठन के प्रशासनिक व्यय के रूप में तथा शेष राशि अन्य खर्चों तथा परिवहन व्यय के रूप में खर्च की गई।

वर्ष 1977-78 में स्कूल केयर फीडिंग कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केन्द्रीय किचन घरौन्डा में शुरू किया गया जिसमें 40,000 बच्चों के लिए प्रतिदिन पंजीरी तैयार की जाती है। इस किचन पर सरकार द्वारा 9.38 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

पुस्तकालयों का विकास :

10.7. वर्ष 1977-78 में जिला पुस्तकालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। इनकी संख्या गत वर्ष की तरह 7 ही रही।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान :

10.8. वर्ष 1977-78 में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान निधि में

लगभग 3.73 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई तथा विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस फंड में से 3.83 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। सहायता के रूप में वितरित की जाने वाली राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) 103 अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रितों को 1000/- रुपये प्रति अध्यापक/अध्यापिका की दर से 1,03,000 रुपये अध्यापकों के दाह संस्कार तथा क्रियाकर्म के लिए तदर्थ आधार पर तत्काल सहायता के रूप में दिया गए।

(2) 119 मृतक अध्यापकों/अध्यापिकाओ के आश्रितों को 180800 रुपयों की सहायता इसी वर्ष दी गई।

(3) 7 मृतक अध्यापकों की विधवाओं को 1888 रुपये की सिलाई मशीनें खरीद कर दी गई।

(4) 19 मृतक/सेवा निवृत्त अध्यापकों/अध्यापिकाओ की लड़कियों की शादी पर 1500 रुपये प्रति लड़की की दर से 28,500 रुपये की सहायता दी गई।

(5) 5 अध्यापकों को उनकी लम्बी बीमारी के इलाज हेतु 2500 रुपये सहायता के रूप में दिये गये।

(6) 22 अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक उपरान्त पढ़ाई करने के लिए मैट्रिक के आधार पर 163200 रुपये की छात्रवृत्तियां एक वर्ष के लिए दी गई।

(7) दो जे0बी0टी0 अध्यापकों को जिन्होंने परिश्रम से बी0एड0 की है, को 2,000 रुपये ऋण के रूप में दिये गये।

परिशिष्ट "क"

31–3–78 को निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
1.	निदेशक शिक्षा	प्रथम	श्री एल0एम0जैन, आई0ए0 एस0 27-6-77 तक तथा श्री ओ0पी0 भारद्वाज, आई0ए0एस0 28-6-77 से वर्ष के अन्त तक ।
2.	निदेशक विद्यालय	प्रथम	श्री के0सी0 शर्मा, आई0ए0एस0 (11-8-77 से वर्ष के अन्त तक)
3.	संयुक्त निदेशक शिक्षा	प्रथम	श्री कुलदीप सिंह बन्ना, सम्पूर्ण वर्ष
4.	उप-निदेशक	प्रथम	श्रीमती राज दुलारी सम्पूर्ण वर्ष
5.	उप-निदेशक	प्रथम	श्री बाबूराम गुप्ता, (25-1-78 से वर्ष के अन्त तक)
6.	उप-निदेशक	प्रथम	श्री बी0डी0 शर्मा, (25-7-77 से वर्ष के अन्त तक)
7.	उप-निदेशक	प्रथम	श्री पी0 पी0 गोसांई, सम्पूर्ण वर्ष
8.	उप-निदेशक	प्रथम	श्री बी0 एम0 ईशर, सम्पूर्ण वर्ष

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ष	अधिकारी का नाम
9.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्रीमती पुष्पा अबरोल, सम्पूर्ण वर्ष
10.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री वासुदेव छाबड़ा, सम्पूर्ण वर्ष
11.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री एस0एस0 कौशल, सम्पूर्ण वर्ष
12.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्रीमती कमला छिकारा, (12-8-77 से वर्ष के अन्त तक)
13.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री नरेन्द्र कुमार, सम्पूर्ण वर्ष
14.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री बी0आर0 बजाज, सम्पूर्ण वर्ष
15	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री एम0एस0 चौधरी, सम्पूर्ण वर्ष
16.	प्रशासन अधिकारी	द्वितीय	श्री एम0एल0 खुराना सम्पूर्ण वर्ष
17.	लेखा अधिकारी	द्वितीय	श्री एस0 एल0 पासी, सम्पूर्ण वर्ष
18.	रजिस्ट्रार शिक्षा	द्वितीय	श्री एम0एन0 मदान, (21-11-77 से वर्ष के अन्त तक)
19.	बजट अधिकारी	द्वितीय	श्री धर्मपाल गुप्ता, (21-11-77 से वर्ष के अन्त तक)

परिशिष्ट "ख"

31–3–78 को जिला स्तर पर अधिकारी

क्रमांक	जिला	जिला अधिकारी का नाम	उप मण्डल शिक्षा अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1.	अम्बाला	श्री देव राज सिंह गिल	श्री आर0एस0शर्मा, अम्बाला श्री तीर्थराम धूप, नारायणगढ़ कुमारी बी0 भोला, जगाधरी
2.	भिवानी	श्री चन्द्र भान	श्री ओ0पी0सेठ, भिवानी श्री आर0डी0शर्मा, चरखी-दादरी श्री वी0पी0 गौतम, लोहारू
3.	जीन्द	श्री प्रेम प्रकाश	श्री ओ0पी0 गुप्ता, जीन्द श्री साधुराम जैन, नरवाना
4.	गुड़गांव	कुमारी शान्ता राजदान	श्री गुगन सिंह, गुड़गांव श्री बलराज शर्मा, पलवल श्री जे0 सी0 तनेजा, नूह श्री इन्द्रसैन घई, बल्लबगढ़ श्री हरबन्स सिंह, फिरोजपुर-झिरका
5.	हिसार	श्री एम0 पी0 जैन	श्री जे0 पी0 शर्मा, हिसार श्री ओ0 पी0 बतरा, हांसी श्री कदम सिंह, फतेहाबाद

1	2	3	4
6.	करनाल	श्री सोहन लाल	श्री वी0 आर0 गोरयल, करनाल श्रीमति जानकी बाई, पानीपत
7.	कुरुक्षेत्र	श्री जे0 के0 सूद	श्री पी0 सी0 चौधरी, थानेसर श्री जी0 एस0 शर्मा, कैथल
8.	महेन्द्रगढ़	कुमारी पी0 ग्रोवर	श्री एस0एस0 राघव, नारनौल श्री आर0पी0 गिरधर, रिवाड़ी श्री आर0एल0 रायजादा, महेन्द्रगढ़
9.	रोहतक	कुमारी कृष्णा चोपड़ा	श्री हृदयराम मलिक, रोहतक रिक्त, झज्जर श्री सूरज लाल, वहादुरगढ़
10.	सिरसा	श्री धर्म सिंह ढिल्लों	श्री एन0 आर0 मित्तल, सिरसा श्री आर0 एन0 बैद, डबवाली
11.	सोनीपत	श्री वी0एस0पासी	श्री जगबीर सिंह, सोनीपत श्री अमीर सिंह, गोहाना ।

परिशिष्ट "ग"

31-3-78 को श्रेणी-i तथा श्रेणी-ii के कुल पद कालेज और स्कूलों के अलग-अलग

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	कुल संख्या	संख्या	
				पुरुष	स्त्री
1.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	प्रथम	14	11	3
2.	प्रोफैसर, राजकीय महाविद्यालय	प्रथम	9	1	1 (7 रिक्त)
3.	निदेशक राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गाव ।	प्रथम	1	1	--
4.	निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान, गुड़गांव	प्रथम	1	1	--
5.	प्राचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	द्वितीय	77	55	22
6.	प्राचार्य, जे0बी0टी0 स्कूल	द्वितीय	4	2	2
7.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	द्वितीय	3	2	1
8.	विज्ञान परामर्शी	द्वितीय	1	1	—
9.	मूल्यांकन अधिकारी	द्वितीय	2	1	1
10.	परामर्शदाता	द्वितीय	1	1	—
11.	मनोवैज्ञानिक/वरिष्ठ प्राध्यापक	द्वितीय	216	166	50
12.	उप मण्डल अधिकारी/ उप जिला शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	41	28	13
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	प्रथम	11	8	3
14.	तकनीकी प्राध्यापक	द्वितीय	7	7	--
15.	राज्य पुस्तकाध्यक्ष	द्वितीय	1	1	—

8696—D.P.I.—H.G.P., Chd.